न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा

मुकदमा नम्बर : 15/2015

1– हरी राम आयु 60
2– सियाराम आयु 52 वर्ष
3–रतीराम आयु 46 वर्ष

पुत्रगण ग्यासिया जाति मीना निवासी
ग्राम शीतलपुरा तहसील सरमथुरा

–वादीगण

बनाम

आदिराम पुत्र कुमरपाल जाति मीना निवासी ग्राम शीतलपुरा तहसील सरमथुरा

–प्रतिवादीगण

छावा इस्तकराकर, दुरस्ती इन्द्राज हतु

निर्णय

दिनांक:23.01.2018

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से दावा में यह कहा गया है कि गत आराजी खसरा नम्बर 1021 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा जिसका हाल नम्बर 336 रकवरा 0.57 हैक्टेयर है, गत खसरा नम्बर 1091 रकवा 8 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 337 रकवा 0.10 हैक्टर स्थित ग्राम शीतलपुरा तहसील सरमथुरा में 1/2 हिस्से की खातेदारी काश्तकार मु0 भौरी वेवा राम रतन जाति मीना निवासी ग्राम शीतलपुरा तहसील सरमथुरा थी व 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण है ।

मु0 भौरी वेवा रामरतन का देहान्त लावल्द हो गया है मु0 भौरी का देहान्त हो जाने पर विवादग्रस्त आराजी में वादगण व प्रतिवादीगण पर प्रकान्त हुई इस प्रकार विवादग्रस्त आराजीयात में वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण इसी हैसियम से विवादग्रस्त आराजीयात को संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रह है । प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों व बन्दोवस्त कर्मचारियों से मिलकर विवादग्रस्त आराजीयात को बन्दोवस्त के दौरान वादीगण की अदम जानकारी में अकेले अपने नाम करा लिया है जिसका प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं था । बन्दोवस्त कर्मचारियों को पूर्व के इन्द्राजात को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही होता है । कथित गलत इन्द्राजात से प्रतिवादी को सम्पूर्ण विवादग्रस्त आराजीयात में कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है और न ही वादीगण के हकूक समाप्त हो सकते हैं । दावा दर्ज रजिस्टार कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेश श्रीवास्तव ऐडवोकेट उपस्थित आये ।

इस सम्बन्ध में प्रतिवादी की ओर से जबाव दावा पेश किया जिसमे अवगत कराया है कि विवादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार भौरीवाई वेवा रामरतन 1/2 भाग की तथा शेष 1/2 भाग के ग्यासिया व कुमरपाल पुत्रगण भैरो थे लेकिन मौके पर कुमरपाल का कब्जा था वही काश्त करते थे ।

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी कराई गई । साक्ष्यवादी में सभी ने यह बात दोहराई है कि विवादग्रस्त आरार्जीयात में वादीगण के पूर्वज ग्यासिया व प्रतिवादी के पिता कुमरपाल खातेदार काश्तकार थे तथा भौरी वेवा रामरतन का देहान्त लावल्द हो गया है मु0 भौरी का देहान्त हो जाने के बाद विवादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्बा वादीगण हरीराम, सियाराम व रतीराम व प्रतिवादीगण आदिराम पर प्रकान्त हुआ है इसी प्रकार वर्तमान में विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार

वादीगण हरीराम, सियाराम व रतीराम है व 1/2 हिस के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी आदिराम है । वकी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी कराने से इन्कार किया । अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई । प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सावित हो कि वादीगण विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार नहीं हैं ।

हमने दावा, जबाव दावा व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना गया तथा उनके द्वारा कही वातों पर मनन किया गया । दावा व प्रस्तुत दस्तावेज से यह साफ जाहिर होता है कि वादीगण के विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 336 रकवा 0.57 हैक्टर व आराजी खसरा नम्बर 337 रकवा 0.10 हैक्टर स्थित ग्राम शीतलपुरा तहसील सरमथुरा में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेखों में दुरस्ती की जावे । इसी आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो । तहसीलदार सरमथुरा को पालना हेतु निर्णय व डिक्री की प्रति भेजी जावे । वाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

21/11/18

(मौहम्मद ताहिर)
उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा